UPME010023542026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित–अनुपम कुमार, एच0जे0एस0

1. प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–712/2026

सलीम उर्फ सुलतान उर्फ शेखचिल्ली पुत्र आबिद, निवासी–खिवाई, थाना–सरूरपुर, जिला–मेरठ। हाल निवासी–पुजा कॉलोनी, थाना–लोनी, जिला–गाजियाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–66/2026
अं0धारा–109(1),317(3) बी0एन0एस0
व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम
थाना–जानी, जनपद–मेरठ।

एवं

UPME010028722026

2. प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–838/2026

दिलशाद उर्फ भूरी पुत्र हसमत अली, निवासी–फकरपुर, थाना–फकरपुर, जिला–बहराईच उ0प्र0 हाल पता पूजा कालोनी, जीवागेट, थाना–लोनी, गाजियाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–66/2026
अं0धारा–109(1),317(3) बी0एन0एस0
व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम
थाना–जानी, जनपद–मेरठ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से.....1. श्री इमरान खान, विद्वान अधिवक्ता
2. श्री रियाजुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता

उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

दिनांक–09.03.2026

1– उपरोक्त दोनों प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सलीम उर्फ सुलतान उर्फ शेखचिल्ली व दिलशाद उर्फ भूरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–66/2026, अं0धारा–109(1),317(3) बी0एन0एस0 व धारा–3/25/27(1) आयुध अधिनियम, थाना–जानी, जनपद–मेरठ के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ–पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार दिनांक 03.02.2026 को समय 02.35 बजे संबंधित थाना–जानी, जिला–मेरठ की पुलिस द्वारा दौरान देखभाल क्षेत्र व रोकथाम जुर्म व चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति एक गाड़ी को रूकने का इशारा किया गया, जो नहीं रूकी और तेज भागने के कारण एक पेड से टकरा गयी। गाड़ी में मौजूद दो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस को देखते ही उनपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही में दोनों अभियुक्तगण के पैरों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गयी, जो दोनों अभियुक्तगण के पैरों में लगी, जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये पहले व्यक्ति ने अपना नाम दिलशाद उर्फ भूरी व दूसरे ने अपना नाम सलीम उर्फ सुल्तान उर्फ शेखचिल्ली बताया, जिनके कब्जे से दो अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, दो अदद बाली पीली धातु, एक अदद टाप्स पीली धातु, दस हजार रूपये, एक अदद आई टेन कार बरामद हुई।

4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। घटना का कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उनके कब्जे से जो बरामदगी दर्शायी गयी है, वह फर्जी है। कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। स्वयं उनके पैरों में गोली लगी है। उक्त कारणों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विस्तृत तर्कों को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7— प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। उनके के विरूद्ध पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किये जाने के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से दो अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर, दो अदद बाली पीली धातु, एक अदद टाप्स पीली धातु, दस हजार रूपये, एक अदद आई टेन कार की बरामदगी दर्शायी गयी है। अभियोजन के अनुसार कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के स्वयं के पैरों में गोली लगी है। उनके कब्जे से दर्शायी गयी बरमादगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 03.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियोजन की ओर से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि आपराधिक इतिहास होने के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त नहीं होना चाहिए।

8— अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण—दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना—पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सलीम उर्फ सुलतान उर्फ शेखचिल्ली व दिलशाद उर्फ भूरी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—66/2026, अं0धारा—109(1),317(3) बी0एन0एस0 व धारा—3/25/27(1) आयुध अधिनियम, थाना—जानी, जनपद—मेरठ में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या—712/2026 एवं प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना—पत्र संख्या—838/2026 निम्न शर्तो पर स्वीकार किये जाते हैं :—

1. प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/— रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल किये जाएंगे।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नहीं करेंगे और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होंगे।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और वे विचारण के दौरान प्रत्येक तिथियों पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे।

5. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाए।

6. इस आदेश की एक प्रति नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–838/2026 की पत्रावली पर रखी जाए।

दिनांकः 09.03.2026

(अनुपम कुमार)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-1902

Saurabh (P.A.)

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.03.10 10:15:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court